न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर

रेफरेन्स प्रकरण संख्या 17/2025

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ जिला अजमेर .....प्रार्थी

बनाम

1. कैलाशचंद मेहता पुत्र बाबूलाल मेहता जाति जैन निवासी खादी भण्डार के पास, नवकार भवन, भीलवाडा मार्ग देवगढ़ जिला राजसमंद।
2. नेमीचंद पोखरना पुत्र सोहनलाल पोखरना जाति जैन मकान संख्या 334/एच 26, कॉलोनी विनायका डेंटल के पास क्षेत्र/स्थान होसहल्ली विजयनगर शहर बैंगलोर नार्थ जिला बैंगलोर।

.....अप्रार्थीगण

अन्तर्गत धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

श्री ओम प्रकाश गुर्जर ऐडवोकेट राजकीय अभिभाषक

आदेश

दिनांक –12.05.2026

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि राजस्व ग्राम श्री निम्बार्कतीर्थ (सलेमाबाद) तहसील किशनगढ जिला अजमेर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 244 रकबा 02–17–00 बीघा किस्म बंजर–अव्वल, खसरा नंबर 255 रकबा 03–12–00 बीघा किस्म काबिल चाही, खसरा नंबर 256 रकबा 03–14–00 बीघा किस्म बारानी अलीफ खतौनी बंदोबस्त संवत् 2010–19 के खाता संख्या 53 के कॉलम संख्या 3 में माफी मंदिर श्री सर्वेश्वर जी महाराज निवास स्थान देह व एतमाम श्री जी महाराज राधासर्वेश्वर शरण जी देवाचार्य एवं कॉलम संख्या 4 में खुदकाश्त दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जरिये नामान्तरण संख्या 23 दिनांक 19.06.1960 से बिन्दु संख्या 1 में उपदर्शितानुसार भूमि माफी मंदिर श्री सर्वेश्वर जी महाराज निवास स्थान देह व एतमाम श्री जी महाराज राधासर्वेश्वर शरण जी देवाचार्य से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 19 के तहत संवत 2012 से लगातार काश्त करने पर तेजा पुत्र हरबक्श कौम अहीर सा. देह के नाम खातेदारी में दर्ज करने के आदेश पारित हुए है। भूमि एकीकरण मिलान क्षेत्रफल अनुसार खसरा नंबर 244 रकबा 02–17–00 बीघा खसरा नंबर 255 रकबा 03–12–00 बीघा खसरा नंबर 256 रकबा 03–14–00 बीघा कुल किता 3 कुल रकबा 10–03–00 बीघा के एकीकरण खसरा नंबर 174 बने है। भूमि एकीकरण जमाबंदी संवत 2020 के खाता संख्या 44 के कॉलम संख्या 5 में जवारा वलद हरबक्श कौम अहीर सा. देह खातेदार के नाम उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। वर्किंग जमाबंदी संवत 2040 के खाता संख्या 44 में खसरा नंबर 174 रकबा 10–03–00 बीघा जवारा वल्द हरबक्श कौम अहीर सा. देह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। चौसाला जमाबंदी संवत 2045–48 के खाता संख्या 46 में खसरा नंबर 174 रकबा 10–03–00 बीघा जवारा वल्द हरबक्श कौम अहीर सा. देह खातेदार के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। चौसाला जमाबंदी संवत् 2049–52 के खाता संख्या 44 में खसरा नम्बर 174 रकबा 10–03–00 बीघा जवारा वल्द हरबक्श कौम अहीर सा.देह खातेदार के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हैं। चौसाला जमाबंदी संवत् 2053–56 के

जिला कलक्टर
अजमेर

खाता संख्या 44 में खसरा नंबर 174 रकबा 10–03–00 बीघा जवारा वल्द हरबक्श कौम अहीर सा. देह खातेदार के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। चौसाला जमाबंदी संवत् 2057–60 के खाता संख्या 45 में खसरा नंबर 174 रकबा 10–03–00 बीघा जवारा वल्द हरबक्श कौम अहीर सा. देह खातेदार के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। चौसाला जमाबंदी संवत् 2061–64 के खाता संख्या 52 में खसरा नंबर 174 रकबा 10–03–00 बीघा जवारा वल्द हरबक्श कौम अहीर सा. देह खातेदार के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी जो जरिये नामान्तरण संख्या 552 दिनांक 12.11.2010 से मृतक जवारा वल्द हरबक्श की विरासत से रोडमल, शंकर पिता जवारा, धापू पत्नि जवारा, मनफूल, कमला, सीता, सम्पत, विमला पुत्रियां जवारा ब.हि.ब. कौम अहीर के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई। चौसाला जमाबंदी संवत 2068–71 के खाता संख्या 259 में खसरा नंबर 171 रकबा 10–03–00 बीघा पर रोडमल, शंकर पिता जवारा धापू पत्नि जवारा, मनफूल, कमला, सीता, सम्पत, विमला पुत्रियां जवारा ब.हि.ब. कौम अहीर दर्ज थी जो जरिये नामान्तरण संख्या 727 दिनांक 28.04.2014 विरासत से धापू पत्नि जवारा के स्थान पर मनफूल, कमला, सीता, सम्पत, विमला, रोडमल शंकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुआ तथा जरिये नामान्तरण संख्या 1031 दिनांक 5.11.2017 हक त्याग से रोडमल, शंकर पुत्र जवारा के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। अंतिम चौसाला आधार संवत 2068–71 जमाबंदी संवत 2077 (वर्ष 2020) से स्थायी के खाता संख्या 266 में खसरा नंबर 174 रकबा 1.6423 हैक्टेयर रोडमल, शंकर पुत्र जवारा के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी जो जरिये नामान्तरण संख्या 1246 दिनांक 5.1.2021, नामान्तरण संख्या 1506 दिनांक 09.04.2024 तथा नामान्तरण संख्या 1583 दिनांक 05.02.2025 से जमाबंदी में नवीन अंकन अनुसार कैलाशचंद मेहता पुत्र बाबूलाल मेहता हिस्सा 5/12 जाति जैन निवासी खादी भण्डार के पास, नवकार भवन, भीलवाड़ा मार्ग देवगढ जिला राजसमंद एवं श्री नेमीचंद पोखरना पुत्र सोहनलाल पोखरना हिस्सा 1/3 जाति जैन मकान संख्या 334/एच 26, कॉलोनी विनायका डेंटल के पास, क्षेत्र स्थान होसहल्ली विजयनगर शहर बैंगलोर नार्थ जिला बैंगलोर एवं नेमीचंद पोखरना पुत्र सोहनलाल पोखरना हिस्सा 1/4 जाति जैन मकान संख्या 334/एच 26, कॉलोनी विनायका डेटल के पास क्षेत्र स्थान होसहल्ली विजयनगर शहर बैंगलोर नार्थ जिला बैंगलोर खातेदार के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 19 के परन्तुक एवं धारा 46 के प्रावधानो के क्रम में अपेक्षित रेफरेंस कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रस्तुत है। अतः वर्तमान जमाबंदी में अंकित खातेदारो की खातेदारी निरस्त करवाकर भूमि तत्समय सेटलमेन्ट जमाबंदी संवत 2010–19 के अनुसार दुरूस्ती करवाने की स्वीकृति बाबत् प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित। पेरोकार सरकार द्वारा सुनवाई चाहने पर पेरोकार सरकार को सुना गया।

पेरोकार सरकार ने सुनवाई के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए प्रकट किया कि राजस्व ग्राम श्री निम्बार्कतीर्थ (सलेमाबाद) तहसील किशनगढ जिला अजमेर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 244 रकबा 02–17–00 बीघा किस्म बंजर–अव्वल, खसरा नंबर 255 रकबा 03–12–00 बीघा किस्म काबिल चाही, खसरा नंबर 256 रकबा 03–14–00 बीघा किस्म बारानी अलीफ खतौनी बंदोबस्त संवत् 2010–19 के खाता संख्या 53 के कॉलम संख्या 3 में माफी

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

मंदिर श्री सर्वेश्वर जी महाराज निवास स्थान देह व एतमाम श्री जी महाराज राधासर्वेश्वर शरण जी देवाचार्य एवं कॉलम संख्या 4 में खुदकाश्त दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जरिये नामान्तरण संख्या 23 दिनांक 19.06.1960 से बिन्दु संख्या 1 में उपदर्शितानुसार भूमि माफी मंदिर श्री सर्वेश्वर जी महाराज निवास स्थान देह व एतमाम श्री जी महाराज राधासर्वेश्वर शरण जी देवाचार्य से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 19 के तहत संवत 2012 से लगातार काश्त करने पर तेजा पुत्र हरबक्श कौम अहीर सा. देह के नाम खातेदारी में दर्ज करने के आदेश पारित हुए है। भूमि एकीकरण मिलान क्षेत्रफल अनुसार खसरा नंबर 244 रकबा 02–17–00 बीघा खसरा नंबर 255 रकबा 03–12–00 बीघा खसरा नंबर 256 रकबा 03–14–00 बीघा कुल किता 3 कुल रकबा 10–03–00 बीघा के एकीकरण खसरा नंबर 174 बने है। भूमि एकीकरण जमाबंदी संवत 2020 के खाता संख्या 44 के कॉलम संख्या 5 में जवारा वलद हरबक्श कौम अहीर सा. देह खातेदार के नाम उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। वर्किंग जमाबंदी संवत 2040 के खाता संख्या 44 में खसरा नंबर 174 रकबा 10–03–00 बीघा जवारा वल्द हरबक्श कौम अहीर सा. देह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। चौसाला जमाबंदी संवत 2045–48 के खाता संख्या 46 में खसरा नंबर 174 रकबा 10–03–00 बीघा जवारा वल्द हरबक्श कौम अहीर सा. देह खातेदार के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। चौसाला जमाबंदी संवत् 2049–52 के खाता संख्या 44 में खसरा नम्बर 174 रकबा 10–03–00 बीघा जवारा वल्द हरबक्श कौम अहीर सा.देह खातेदार के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हैं। चौसाला जमाबंदी संवत् 2053–56 के खाता संख्या 44 में खसरा नंबर 174 रकबा 10–03–00 बीघा जवारा वल्द हरबक्श कौम अहीर सा. देह खातेदार के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। चौसाला जमाबंदी संवत् 2057–60 के खाता संख्या 45 में खसरा नंबर 174 रकबा 10–03–00 बीघा जवारा वल्द हरबक्श कौम अहीर सा. देह खातेदर के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। चौसाला जमाबंदी संवत् 2061–64 के खाता संख्या 52 में खसरा नंबर 174 रकबा 10–03–00 बीघा जवारा वल्द हरबक्श कौम अहीर सा. देह खातेदार के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी जो जरिये नामान्तरण संख्या 552 दिनांक 12.11.2010 से मृतक जवारा वल्द हरबक्श की विरासत से रोडमल, शंकर पिता जवारा, धापू पत्नि जवारा, मनफूल, कमला, सीता, सम्पत, विमला पुत्रियां जवारा ब.हि.ब. कौम अहीर के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई। चौसाला जमाबंदी संवत 2068–71 के खाता संख्या 259 में खसरा नंबर 171 रकबा 10–03–00 बीघा पर रोडमल, शंकर पिता जवारा धापू पत्नि जवारा, मनफूल, कमला, सीता, सम्पत, विमला पुत्रियां जवारा ब.हि.ब. कौम अहीर दर्ज थी जो जरिये नामान्तरण संख्या 727 दिनांक 28.04.2014 विरासत से धापू पत्नि जवारा के स्थान पर मनफूल, कमला, सीता, सम्पत, विमला, रोडमल शंकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुआ तथा जरिये नामान्तरण संख्या 1031 दिनांक 5.11.2017 हक त्याग से रोडमल, शंकर पुत्र जवारा के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। अंतिम चौसाला आधार संवत 2068–71 जमाबंदी संवत 2077 (वर्ष 2020) से स्थायी के खाता संख्या 266 में खसरा नंबर 174 रकबा 1.6423 हैक्टेयर रोडमल, शंकर पुत्र जवारा के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी जो जरिये नामान्तरण संख्या 1246 दिनांक 5.1.2021, नामान्तरण संख्या 1506 दिनांक 09.04.2024 तथा नामान्तरण संख्या 1583 दिनांक 05.02.2025 से जमाबंदी में नवीन अंकन अनुसार कैलाशचंद मेहता पुत्र बाबूलाल मेहता हिस्सा 5/12 जाति जैन निवासी खादी भण्डार के पास, नवकार भवन, भीलवाड़ा मार्ग देवगढ जिला

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

राजसमंद एवं श्री नेमीचंद पोखरना पुत्र सोहनलाल पोखरना हिस्सा 1/3 जाति जैन मकान संख्या 334/एच 26, कॉलोनी विनायका डेंटल के पास, क्षेत्र स्थान होसहल्ली विजयनगर शहर बैंगलोर नार्थ जिला बैंगलोर एवं नेमीचंद पोखरना पुत्र सोहनलाल पोखरना हिस्सा 1/4 जाति जैन मकान संख्या 334/एच 26, कॉलोनी विनायका डेटल के पास क्षेत्र स्थान होसहल्ली विजयनगर शहर बैंगलोर नार्थ जिला बैंगलोर खातेदार के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 19 के परन्तुक एवं धारा 46 के प्रावधानो के क्रम में अपेक्षित रेफरेंस कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रस्तुत है। अतः वर्तमान जमाबंदी में अंकित खातेदारो की खातेदारी निरस्त करवाकर भूमि तत्समय सेटलमेन्ट जमाबंदी संवत 2010–19 के अनुसार दुरूस्ती करवाने की कृपा करावें।

हमने उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस एवं रिकॉर्ड पत्रावली का अवलोकन मनन किया। अवलोकन अनुसार प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 244 रकबा 02–17–00 बीघा किस्म बंजर–अव्वल, खसरा नंबर 255 रकबा 03–12–00 बीघा किस्म काबिल चाही, खसरा नंबर 256 रकबा 03–14–00 बीघा किस्म बारानी अलीफ खतौनी बंदोबस्त संवत् 2010–19 के खाता संख्या 53 के कॉलम संख्या 3 में माफी मंदिर श्री सर्वेश्वर जी महाराज निवास स्थान देह व एतमाम श्री जी महाराज राधासर्वेश्वर शरण जी देवाचार्य एवं कॉलम संख्या 4 में खुदकाश्त दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जरिये नामान्तरण संख्या 23 दिनांक 19.06.1960 से बिन्दु संख्या 1 में उपदर्शितानुसार भूमि माफी मंदिर श्री सर्वेश्वर जी महाराज निवास स्थान देह व एतमाम श्री जी महाराज राधासर्वेश्वर शरण जी देवाचार्य से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 19 के तहत संवत 2012 से लगातार काश्त करने पर तेजा पुत्र हरबक्श कौम अहीर सा. देह के नाम खातेदारी में दर्ज करने के आदेश पारित हुए चूंकि मन्दिर श्री सर्वेश्वर जी महाराज शाश्वत अव्यस्क है। मूर्ति स्वयं भूमि पर काश्त नहीं कर सकती। अतः उसकी व्यवस्था पुजारी द्वारा की जाती है व पुजारी स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मूर्ति मन्दिर की खुदकाश्त की भूमि पर की गई काश्त मंन्दिर मूर्ति के लिये धारा–46 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अधीन उप–काश्तकार की हैसियत से की गई काश्त मानी जावेगी। ऐसे उप–काश्तकार को किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार हस्तान्तरित नहीं हो सकते है। विद्वान पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत तर्क एवं कानूनी नजीरें RRT 2006(1) page 467-470, RRD 2000 page 229-231, RBJ (5)1998 page 384-391 के RRD 1997 page 158-163 प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होतें है। राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1959 के अनुसार हर एक मन्दिर पब्लिक ट्रस्ट है, जो Open for the Community at Large for Worship है। विधि अनुसार मूर्ति शाश्वत नाबालिग होती है, जो स्वयं काश्त करने की स्थिति में नहीं है और खुद ही पुजारी, व्यवस्थापक के जरिये या किसी अन्य व्यक्ति के जरिये अपनी भूमि पर काश्त करवाता है, क्योंकि वह स्वयं काश्त करने में असमर्थ हैं। अतः माफी रिज्यूम होने के समय भी मंदिर स्वयं काश्त न करता हो और मंदिर की खुदकाश्त में भूमि दर्ज न हो तो भी मंदिर की खुदकाश्त की भूमि मानी जावेगी (Deemed to be khudkast) और किसी भी पुजारी, सब–टीनेन्ट, जैली या कब्जेधारी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 5(25) के अन्तर्गत भूमि मूर्ति की खुद काश्त मानी जायेगी। मंदिर भूमि के खातेदारी अधिकार उसके कृषक को हस्तान्तरित नहीं हो सकतें है। कृषक के नाम खातेदारी इन्द्राज किया जाना पूर्णतया

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

अवैधानिक है। उक्त अवैधानिक इन्द्राज के पश्चात किया गये विक्रय एवं उनके आधार पर किये गये इन्द्राज को भी विधि सम्मत नहीं ठहराया जा सकता। फलस्वरूप प्रस्तुत रेफरेन्स स्वीकार योग्य है। अतः तहसीलदार किशनगढ द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर प्रश्नगत मंदिर भूमि मन्दिर श्री सर्वेश्वर जी महाराज स्थान किशनगढ बाबत पारित अन्य खातेदारों के विक्रय/रहन/उपहार इत्यादि दर्ज समस्त नामान्तरकरण को अवैध एवं एब इनिशियोंवॉईड करार दिया जाने एवं ग्राम श्रीनिम्बार्कतीर्थ (सलेमाबाद) तहसील किशनगढ जिला अजमेर के प्रश्नगत आराजी को राजस्व रेकॉर्ड में मुताबिक जमाबंदी खतौनी संवत 2010 से 2019 में दर्ज खाता संख्या 53 के कॉलम संख्या 03 में दर्ज खसरा नम्बरान् उक्त माफी मन्दिर श्री सर्वेश्वर जी महाराज निवास स्थान देह व एतमाम श्री जी महाराज राधासर्वेश्वर शरण जी देवाचार्य के इन्द्राज अनुसार वर्तमान रेकॉर्ड में भी उक्त माफी मन्दिर श्री सर्वेश्वर जी महाराज निवास स्थान देह व एतमाम श्री जी महाराज राधासर्वेश्वर शरण जी देवाचार्य का अंकन करने हेतु उक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रस्तुत किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 12.05.2026 को लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

(लोक बन्धु)
जिला कलक्टर, अजमेर

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर